



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244445
CG-DL-E-17032023-244445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1200]
No. 1200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1249(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5446 (अ) तारीख 23.11.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 23.11.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा NH-752बी (जीरापुर सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर रोड) (तहसील-डग) के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक के लिए भूखण्ड के निर्माण, (2-लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "राज एक्सप्रेस" में मंगलवार 06 दिसंबर 2022, "पीपुल्स समाचार" में सोमवार 05 दिसंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752बी के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक (जीरापुर सुसनेर एम. पी. आर. जे. बॉर्डर रोड) (तहसील-डग) के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: झालावाड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: डग				
	गांव का नाम: नाहरघट्टी				
1	405/2, 405/3, 405/6	सरकारी(गैर मजरुआ)	का. का., बंजर, रास्ता	0.019	राजस्थान सरकार शासन (गैर मु. सरकारी) (४०५/२, ४०५/३, ४०५/६)
2	406	सरकारी(गैर मजरुआ)	नदी	0.214	राजस्थान सरकार शासन (गैर मु. सरकारी) (४०६)
3	407	सरकारी(गैर मजरुआ)	रास्ता	0.035	राजस्थान सरकार शासन (गैर मु. सरकारी) (४०७)
4	411	सरकारी(गैर मजरुआ)	का. का.	0.22	गवर्नमेंट ओफ राजस्थान गवर्नमेंट (गैर मुं. गौत.) (४११)
			कुल	0.4880	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1249(E).—In-Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5446 (E) dated 23.11.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Two-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of National Highway NH-752B on the stretch of land from Km. 0+000 to 40+500 Km. in (Jirapur Susner MPRJ-Border-Road) (Tehsil-Dag) in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Raj Express" 06 December 2022 Tuesday, "People Samachar" 05 December 2022 Monday under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 0+000 to 40+500 km. (Jirapur Susner MPRJ-Border-Road) (Tehsil-Dag) Of the National Highway NH-752B in the district of JHALAWAR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN		District: JHALAWAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dag				
	Village: Naharghatti				
1	405/2, 405/3, 405/6	Government(Gair Majruwa)	Ka. Ka., Banjar, Rasta	0.019	government of Rajasthan Government (Gair Mu. Govt.) 405/2, 405/3, 405/6
2	406	Government(Gair Majruwa)	Nadi	0.214	government of Rajasthan Government (Gair Mu. Govt.) 406
3	407	Government(Gair Majruwa)	Rasta	0.035	Government of Rajasthan Government (Gair Mu. Govt.) 407
4	411	Government(Gair Majruwa)	Ka. Ka.	0.22	Government of Rajasthan Government (Gair Mu. Govt.) 411
			TOTAL	0.488	

[F. No. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.